



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2018/आषाढ़ 7, 1940

No. 220]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2018/ASHADHA 7, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2018

सं. 16/2015-2020

**विषय:** स्क्रिप से संबंधित अध्याय 3 के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.03 में संशोधन।

फा. सं. 01/61/180/65/एम 19/पीसी-3.—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015-2020) के पैरा 9.03 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं:-

मौजूदा पैरा 9.03	संशोधित पैरा 9.03
<p><b>9.03 पूरक दावे</b> जहाँ कहीं भी विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरक दावे के लिए आवेदन प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती कर ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है।</p>	<p><b>9.03 पूरक दावे</b> जहाँ कहीं भी विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरक दावे के लिए आवेदन प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती कर ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है। तथापि, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 3 के तहत स्क्रिपों के लिए कोई पूरक दावा स्वीकार्य नहीं होगा।</p>

2. **सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 9.03 में अध्याय 3 की स्कीमों के तहत पूरक दावों को अस्वीकार करने हेतु संशोधन किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(Directorate General of Foreign Trade)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 28th June, 2018

**No. 16 /2015-2020****Subject: Amendment in the Para 9.03 of the Handbook of Procedures for Chapter 3 Scrips-reg.**

F. No. 01/61/180/65/AM19/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends the Para 9.03 of the Handbook of Procedures (2015-2020) as under :-

<b>Existing Para 9.03</b>	<b>Revised Para 9.03</b>
<p><b>9.03 Supplementary Claims</b></p> <p>Wherever any application for supplementary claim is received, within specified time limits, such application may also be considered after imposing a cut @2% on the entitlement.</p>	<p><b>9.03 Supplementary Claims</b></p> <p>Wherever any application for supplementary claim is received, within specified time limits, such application may also be considered after imposing a cut @2% on the entitlement. However, no supplementary claims for scrips under chapter 3 of the FTP 2015-20 would be admissible.</p>

2. **Effect of this Public Notice :** The Para 9.03 of HBP 2015-20 has been amended to disallow supplementary claim under Chapter 3 schemes.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade